



Neutral Citation No. - 2026:AHC:1937

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 42364 वर्ष 2025

प्रमोद चौहान

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: नन्हे लाल त्रिपाठी, प्रतीक प्रजापति

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री नन्हे लाल त्रिपाठी और राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान ए.जी.ए. श्री पुनीत कुमार सिंह की दलीलें सुनीं और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत यह जमानत याचिका अभियुक्त-

आवेदक प्रमोद चौहान की ओर से दायर की गई है, जिसमें मुकदमा अपराध संख्या 7/2025,

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



धारा 318 (4), 61 (2) बीएनएस और 66 डी, पुलिस स्टेशन साइबर क्राइम कन्नौज, जिला कन्नौज के तहत मामले में जमानत पर रिहाई की मांग की गई है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आरोपी-आवेदक निर्दोष है। उसे इसी मामले में झूठा फंसाया गया है और वह 30.07.2025 से जेल में बंद है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि समान परिस्थितियों वाले सह-आरोपी अनिकेत गुप्ता उर्फ एनी उर्फ राज गुप्ता को इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 28414/2025 में दिनांक 10.09.2025 के आदेश द्वारा जमानत पर रिहा किया जा चुका है। उन्होंने आगे बताया कि वर्तमान मामले में आरोप पत्र 10.09.2025 को दाखिल किया गया था और संज्ञान 29.09.2025 को लिया गया था, इसलिए आवेदक से आगे की हिरासत में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। तीन मामलों का आपराधिक इतिहास पहले ही पैराग्राफ संख्या में बताया जा चुका है। जमानत याचिका के समर्थन में दायर हलफनामे के अनुच्छेद 14 के अनुसार, इस बात की कोई संभावना नहीं है कि वह न्याय प्रक्रिया से भाग जाएगा या जमानत पर रिहा होने की स्थिति में सबूतों से छेड़छाड़ करेगा। इसलिए, जमानत की प्रार्थना की गई है।

उपरोक्त सभी तथ्यों और परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि की स्थिति में सजा की गंभीरता और सहायक साक्ष्यों की प्रकृति, गवाह के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका और प्रथम दृष्टया मामले को ध्यान में रखते हुए, लेकिन मामले की योग्यता पर टिप्पणी किए बिना, एक उपरोक्त सभी तथ्यों और परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि की स्थिति में सजा की गंभीरता और सहायक साक्ष्यों की प्रकृति, गवाह के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका और प्रथम

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



दृष्टया मामले को ध्यान में रखते हुए, लेकिन मामले की योग्यता पर टिप्पणी किए बिना, जमानत का मामला बनता है।

अतः, जमानत याचिका स्वीकार की जाती है।

उपरोक्त मामले में आरोपी-आवेदक **प्रमोद चौहान** को, उल्लेखित अपराध संख्या में, जमानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते वह एक व्यक्तिगत मुचलका और दो विश्वसनीय जमानतदार प्रस्तुत करे, जिनकी राशि संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप हो, निम्नलिखित शर्तों के अधीन:

1. आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा।
3. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव/धमकी नहीं देगा और मुकदमे में सहयोग करेगा।
4. आवेदक मुकदमे की सुनवाई के लिए निर्धारित प्रत्येक तिथि पर नियमित रूप से उपस्थित होगा जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी जाए।

उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने की स्थिति में, अवर न्यायालय उसकी जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगी।

6 जनवरी, 2026

दीपक/

(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।